# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोण्डा

पत्रसंख्या–डीजल/पेट्रोलपम्प/एफएस/2016 दिनॉक–दिसम्बर 20, 2016

सेवामें,

जिलाधिकारी,
गोण्डा ।

**विषयः–प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (डीजल/पेट्रोल पम्प) ग्राम–बनघुसरा, परगना–महदेवा,तहसील–गोण्डा गोण्डा–फैजाबाद रोड जनपद–गोण्डा में खसरा नं0–342, स्टोन संख्या–79 पर स्थित भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–455/जे0ए0(अनापत्ति)/2016 दिनॉक–16–12–2016 के अनुपालन में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (डीजल/पेट्रोल पम्प) ग्राम–बनघुसरा, परगना–महदेवा, तहसील–गोण्डा गोण्डा–फैजाबाद रोड जनपद–गोण्डा में स्थित खसरा नं0–342 स्टोन संख्या–79 पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के पम्प स्थापना स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से स्थलीय निरीक्षण किया गया तो स्थल सुरक्षित पाया गया , स्थल तक अग्निशमन के वाहन सुगमता पूर्वक आवागमन कर सकते है ।

**निम्नलिखित अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा ।**

1–ए0बी0सी0/डी0सी0पी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता–10 कि0ग्रा0–08 अदद ।
2–सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता–4.5 कि0गा0–02 अदद ।
3–फायर बकेट–08 अदद ।
4–बेल्चा–02 अदद ।
5–धूम्रपान निषेध बोर्ड – एक अदद ।
6–बालू–4X4X4 घनफिट ।
7–समरसेबुल पम्प एवं पानी का टैंक स्थापित किया जाना आवश्यक है ।
8–फायर स्टेशन गोण्डा का टेलीफोन नम्बर–101, 230388, 9454418815 की पट्टिका एक अदद ।

भण्डारण प्रारम्भ करने से पूर्व उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण कराते हुए पुनः अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा एवं प्रत्येक वर्ष स्थापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु उपकरणों का रिफलिंग/टेस्टिंग कराया जाना आवश्यक होगा ।

अतएव उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर रिटेल आउटलेट (डीजल/पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है ।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी 20/12/16

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोण्डा